

मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश,
सतपुडा भवन, भोपाल

क्रमांक/14743

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2006

प्रति

- 1- समस्त वन संरक्षक
पदेन क्षेत्रीय महाप्रबंधक
मध्य प्रदेश
- 2- समस्त वन मण्डलाधिकारी,
एवं पदेन प्रबंध संचालक,
जिला यूनियन मध्य प्रदेश

विषय :- तेन्दूपत्ता अनुज्ञा-पत्र जारी करने बावत्।

----0----

भोपाल में लघु वनोपज संघ के द्वारा दिनांक 14.11.06 को तेदू पत्ता व्यापारियों की आयोजित सम्मेलन में व्यापारियों के द्वारा तेदू पत्ता अनुज्ञा पत्रों के जारी करने में अनावश्यक विलंब किये जाने और एक अव्यवाहिक रूप से कम समयावधि के लिये जारी किये जाने के कारण कठिनाई उत्पन्न होने की शिकायत की है। यह भी शिकायत है कि कुछ वन मंडलाधिकारियों के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार परिवहन अनुज्ञा पत्र - 1 (सहायक) जारी किये जाने हेतु तेदू पत्ता क्रेताओं और उनके प्रतिनिधियों को प्राधिकृत किये जाने के संबंध में निर्देश बहुत स्पष्ट है। खण्डीय वन अधिकारियों के साथ साथ उप वन मंडलाधिकारियों को भी परिवहन अनुज्ञा पत्र 1 से 3 तक जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है। तेदू पत्ता सीजन में हरे पत्तों के क्रेताओं एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को टी पी - 1 सहायक जारी करने के लिये प्राधिकृत किये जाने की भी व्यवस्था रखी गई है। कृपया सुनिश्चित किया जावे कि तेदू पत्ता प्राप्त करने में व्यापारी अनावश्यक रूप से परेशान नहीं हो। इसके लिये अपने स्तर पर समुचित व्यवस्था करे और अधिनस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों को भी समुचित निर्देश जारी करें।

(मोहम्मद हाशिम)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
मध्य प्रदेश